अत्यन्त महत्वपूर्ण

संख्या बी-3-443/दस-96-100139।/88

प्रेषक,

श्री आलोक रंजन,
सचिव, वित्त,
(बजट संसाधन एवं वेतन आयोग),
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यपालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 06 दिसम्बर, 1994

विषय:- उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल में दिये गये पुनर्विनियोग तथा पुनर्विनियोग के अधिकारों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या बी-3-2826/दस-1994-100139।/88, दिनांक 6 जून, 1994 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के द्वारा प्रशासकीय विभागों को यह अधिकार प्रतिनिधानित किये गये हैं कि यदि किसी विशिष्ट मामले में उपरोक्त अधिकारों के अन्तर्गत पुनर्विनियोग की स्वीकृति दिया जाना आवश्यक समझते हों तो इस सम्बन्ध में विभागीय सचिव द्वारा पूर्ण औचित्य प्रदर्शित करते हुये स्वतः स्पष्ट आदेश पारित किये जायें, जो बजट मैनुअल तथा प्रशासनिक व्यय में मितव्यिता सम्बन्धी समय-समय पर जारी शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होंगे।

सक्षम विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में वेतन, महँगाई भत्ता, अन्य भत्ते तथा अन्तरिम सहायता की मदों के अन्तर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 6 जून, 1994 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आन्तरिक पुनर्विनियोग की ही अनुमति प्रशासनिक विभाग द्वारा दी जायेगी। किसी भी दशा में उक्त मदों से अप्रत्यनबद्ध मदों जैसे पेट्रोल, टेलीफोन, यात्रा भत्ता तथा आकस्मिक व्यय आदि में पुनर्विनियोग की अनुमति न दी जाय।

यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
सचिव, वित्त
बजट संबंधी, एवं वेतन आयोग।

संख्या वी-3-1-3118/दस-10-100139/88 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

प्रेषित,

1- प्रदेश महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- समस्त विभाग।
3- सचिव, विधान सभा तथा विधान परिषद सचिवालय।
4- निबन्धक, उच्च न्यायालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5- प्रदेश के समस्त कोषाधिकारी।

आज्ञा से,

(के0 सी0 मिश्र)
संयुक्त सचिव, वित्त।